



HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर नाबालिग से छेड़खानी करने वाले अभियुक्त को 03 वर्ष के कठोर कारावास व 4,000/-रु० के अर्थदण्ड की सजा दिलाई गई।”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा० न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना मझगवां में पंजीकृत मु०अ०सं०-28/2018 धारा-354,323 भा०द०सं० व 8 पाँक्सो एक्ट में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा० न्यायालय विशेष पाक्सो एक्ट कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त देवपाल अहिरवार पुत्र हरगोविन्द निवासी जराखर थाना मझगवां जनपद हमीरपुर को दोषसिद्ध करते हुए 03 वर्ष के कठोर कारावास व 4,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



अभियोजक
एडीजीसी अवधनरेश
चन्देल



विवेचक-
उ०नि० अभिलाख
सिंह



पैरोकार
थाना - मझगवां
का० अनिल कुमार